



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062026-273575  
CG-DL-E-18062026-273575

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3064]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2026/ज्येष्ठ 27, 1948

No. 3064]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

**का.आ. 3186(अ).**—यतः, मैसीरम बायो फार्मा पार्क ने महाराष्ट्र राज्य . मे गावं हाडापसार एवं मंजरी, जिला पुणे में फार्मास्युटिकल और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा (3) के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित एवं अनधिसूचित किया जिनका विवरण इस प्रकार है;

क्रम . .स	अधिसूचना संख्या/ दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल परिणामी योग (हेक्टेयर में)
(i)	का.आ.1126 (अ) /18 जुलाई, 2006	23.1793		23.1793
(ii)	का.आ. 2501 (अ)/11सितम्बर, 2015	-	10.7657	12.4136
(iii)	का.आ. 4383 (अ) / 9 अक्टूबर, 2023	3.5968	-	16.0104

और यतः, मैसीरम बायो फार्मा पार्क ने अब उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में . 2.6049 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप) धारा-1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 2.6049 हेक्टेयर के क्षेत्र को शामिल करती है, जिसके परिमाणतः विशेष आर्थिक जोन का कुल क्षेत्रफल 18.6153 हेक्टेयर हो जाएगा। अतिरिक्त क्षेत्र हेतु निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थात:-

#### अतिरिक्त क्षेत्र हेतु तालिका

क्र.सं .	गाव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	अधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	हाडापसार	212/1/3	0.1642
2.		212/1/2	0.2465
3.		212/2/ए	1.2723
4.		268/3	0.0663
5.		269/2	0.0955
6.		213/1बी	0.4366
7.		204/6/सी/1/1	0.0440
8.		204/6डी/1	0.0160
9.		212/2बी/1	0.1015
10.		268/5 (भाग)	0.0820
11.	मंजरी बुदरुक	169/3	0.0800
<b>कुल</b>			<b>2.6049</b>
<b>उपयुक्त जोड़ के पश्चात् एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल</b>			<b>18.6153</b>

[फा. सं. एफ. 2/39/2005-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

## (Sez Division)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2026

**S.O. 3186(E).**—Whereas, M/s. Serum Bio-Pharma Park, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Pharmaceutical & Bio-technology sector at Village Hadapsar and Manjiri, District Pune, in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below: -

S. No.	Notification No./ Date	Notified Area (in hectares)	De-notified area (in hectares)	Total Area (in hectares)
(i)	S.O. 1126 (E) Dt. 18 <sup>th</sup> July, 2006	23.1793		23.1793
(ii)	S.O. 2501 (E) Dt. 11 <sup>th</sup> September, 2015	-	10.7657	12.4136
(iii)	S.O. 4383 (E) Dt. 9 <sup>th</sup> October, 2023	3.5968	-	16.0104

AND, WHEREAS, M/s. Serum Bio-Pharma Park, has now proposed for inclusion of additional area of 2.6049 hectares as a part of above Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of 2.6049 hectares, as a part of above Special Economic Zone, thereby making the total area of the Special Economic Zone as 18.6153 hectares. The survey number and the area for additional area notification given below in the table, namely: -

TABLE FOR ADDITIONAL AREA NOTIFICATION

Sl. No.	Name of village	Survey No.	Area to be notified (in Hectares)	
2.	Hadapsar	212/1/3	0.1642	
3.		212/1/2	0.2465	
4.		212/2/A	1.2723	
5.		268/3	0.0663	
12.		269/2	0.0955	
13.		213/1B	0.4366	
14.		204/6/C/1/1	0.0440	
15.		204/6D/1	0.0160	
16.		212/2B/1	0.1015	
17.		268/5 (Part)	0.0820	
18.		Manjiri	169/3	0.0800
		<b>Total</b>		<b>2.6049</b>
<b>Grant total area of SEZ after above addition</b>			<b>18.6153</b>	

[F. No. F. 2/39/2005-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.